


19.7.23

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र वास्तु वाद विद्वो करने का पेश किया। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली तामील पूर्ण होकर जवाब में निपत है। वादी का प्रार्थना पत्र वास्तु पत्रावली विद्वो करने का स्वीकार किया जाता है। वादी द्वारा वाद विद्वो करने से प्रकरण शही स्तर पर निस्तारित किया जाता है। निर्णय शेरबुजता पुनाया गया।

हस्ता

प्रकरण फौजल शुमार होकर नम्बर से कम


प्रतिमा कर्मा
RAS

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर